राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

रा.प्र.क.202504220300022 / अ–62 / वर्ष 2024–25

(1)	(2)	(3)
02.05.25	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक प्रहलाद पिता लखन लाल जाति रावत निवासी ग्राम बारूला, तहसील व जिला–गरियाबंद द्वारा ग्राम बारूला, प.ह.नं. 15, तहसील–गरियाबंद खसरा नम्बर 178 रकबा 4.48हे0 भूमि में स्थित 50 में से 10 वृक्षों के काटने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16.01.2025 को प्राप्त हुआ। राजस्व निरीक्षक बिन्द्रानवागढ़ एवं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी मदनपुर के संयुक्त प्रतिवेदन मय विवरण (प्रपत्र अ,ब,स) प्रस्तुत है। उक्त आवेदन में काटे जाने वाले शुष्क वृक्षों की प्रजाति, उसके सापेक्ष संख्या और भौतिक स्थिति, परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और उसके सापेक्ष संख्या और भौतिक स्थिति तथा कारण का उल्लेख नही किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में काटे जाने वाले वृक्षों के विवरण के अभाव में वृक्ष कटाई की अनुज्ञा जारी किया जाना संभव नही है। अतः आवेदक प्रहलाद पिता लखन लाल द्वारा वृक्ष कटाई हेतु प्रारूप–ग में प्रस्तुत आवेदन में काटे जाने वृक्षों का आधारभूत विवरण न होने के कारण प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबध्द होकर दाखिल दफ्तर हो। अनुविभागीय अधिकारी(रा0) गरियाबंद	

Scanned with CamScanner